न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण संख्या 76/2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. वीना कुमारी पत्नी इन्द्रप्रकाश जाति अरोड़ा आयु 68 वर्ष निवासी भूप कालौनी, एस एस बी रोड, श्री गंगानगर।
2. जितेन्द्र तनेजा पुत्र इन्द्रप्रकाश
3. अमित तनेजा पुत्र इन्द्रप्रकाश अकवाम अरोड़ा सकनाए भूप कालौनी, एस एस बी रोड, श्री गंगानगर जरिये मु0आम वीना कुमारी पत्नी इन्द्रप्रकाश जाति अरोड़ा आयु 68 वर्ष निवासी भूप कालौनी, एस एस बी रोड, श्री गंगानगर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. तोती बाई पत्नी मदन लाल पुत्री स्व0 केसरदास जाति अरोड़ा निवासी 505 अग्रसैन नगर, श्री गंगानगर।
2. मीनाकुमारी पत्नी कृष्ण लाल मुटनेजा पुत्री स्व0 श्री केसरदास जाति अरोड़ा निवासी नई मण्डी, घड़साना जिला श्री गंगानगर।
3. रानी देवी पत्नी चन्दप्रकाश पुत्री स्व0 श्री केसरदास निवासी चक 9 पी एस तह0 रायसिंहनगर
4. कुसुम पत्नी दर्शनलाल पुत्री स्व0 श्री केसरदास जाति अरोड़ा निवासी चक 9 पी एस तह0 रायसिंहनगर।
5. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदास राजस्व, रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित
1. श्री जगमोहन आहूजा, एडवोकेट , अपीलार्थीगण की ओर से
2. श्री हरजीतसिंह जौली, एडवोकेट रेस्पोडेन्टस की तरफ से।

।। निर्णय ।। दिनांक: 19–05–2022

अपील प्रकरण जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक सीजी/वाचक/कार्यविभाजन/2022/36 दिनांक 14.01.2022 के द्वारा रायसिंहनगर तहसील के राजस्व प्रकरणों का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को दिए जाने फलस्वरूप अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के पत्रांक 196 दिनांक 09.02.2022 द्वारा प्रकरण स्थानानरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

अपीलार्थीगण की ओर से हस्तगत अपील धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया गया है अपीलार्थिया सं0 1 की सास व अपीलांट सं0 2 व 3 की दादी स्व0 भगवानी बाई पत्नी केसरदास के नाम से चक 9 पी एस तह0 रायसिंहनगर के प0 नं0 183/281, मु0 नं0 58 के कि0 नं0 1 ता 25 मय खाला में 1/4 हिस्सा तथा मु0 नं0 53 के कि0 नं0 11 ता 25 की 3.163 है0 कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है। भगवानी बाई का देहान्त दिनांक 18–3–12 को होने पर उसके वारिसान स्व0 इन्द्रप्रकाश पुत्र, चन्द्रप्रकाश पुत्र दर्शन लाल पुत्र, तोती बाई पुत्री, मीनादेवी पुत्री जायज वारिसान हुए। इन्द्रप्रकाश का देहान्त होने के कारण अपीलांटस इन्द्रप्रकाश के जायज वारिसान होने से 1/5 हिस्सा के हकदार हुए। भगवानी बाई ने अपने जीवनकाल में कभी कोई वसीयत नहीं की मगर रेसपोडेन्ट सं0 1 ता 4 ने अपने पूर्वज के साथ मिलकर तथाकथित वसीयत दिनांक 1–4–10 कूटरचित बना कर न्यायालय में आवेदन पत्र पेश कर दिनांक 4–5–12 को वसीयत के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

आधार पर इंतकाल करवाने का आदेश पारित करवा लिया जो कि यकतरफा होने के कारण अपीलांटस ने अपील सं0 23/12 पेश की। अपीलीय निर्णय दिनांक 29-5-15 से मामला रिमाण्ड किया गया जिसपर अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश होकर विरासत इन्तकाल करने का कथन किया मगर अधीनस्थ न्यायालय ने अपंजीकृत वसीयत के आधार पर गलत और से बिना अधिकार अपीलाधीन आदेश करते हुए रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 4 के पक्ष में अमलदरामद करने का आदेश पारित कर दिया। अपंजीकृत वसीयत पर किसी प्रकार से इन्तकाल दर्ज करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वसीयत के आधार पर सक्षम न्यायालय से प्रोबेट जारी करवाती। अधीनस्थ न्यायालय को इन्तकाल करने का आदेश देने का अधिकार नहीं था। वसीयत को साबित मानने में कानूनी त्रुटि की गई है। वसीयत के गवाहान के कथनों में भारी विरोधाभाष है। भगवानी बाई की आयु 91 वर्ष की थी। वह अत्यन्त वृद्व थी और चल फिर सकने में असमर्थ थी। उसके निवास से 35 किलोमीटर दूर श्रीकरणपुर से स्टाम्प क्रय करना तथा रायसिंहनगर से लिखवाया जाना संभव नहीं था। वसीयत कूट रचित बनवाई गई है। भगवानीबाई वसीयत करने में सक्षम नहीं थी। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया है कि तथाकथित वसीयत अंपजीकृत है। अपंजीकृत वसीयत के आधार पर इन्तकाल का आदेश नहीं दिया जा सकता था। अपने इस तर्क के समर्थन में 2009 आर बी जे 312 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया है। वसीयत को विधि मान्य तरीके से साबित नहीं करवाया गया। वसीयत के गवाहान के बयानों में गम्भीर विरोधाभाष हैं। अपीलाधीन निर्णय में वसीयत का विवेचन नहीं किया गया और न ही फाईन्डिंग दी गई है। भगवानी बाई अत्यन्त वृद्व महिला थी तथा वसीयत करने में सक्षम नही थी। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्टस के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि भगवानी बाई वसीयत करने में सक्षम थी। प्रमाणीकरण तो मात्र शंका को दूर करने के लिए करवाया जाता है। वसीयत को साबित करवाने के लिए गवाहों का पेश होना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में वसीयत के दोनों गवाहान एवं नोटेरी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं और अपना साक्ष्य दिया है जो वसीयत को पूर्ण रूप से प्रमाणित साबित करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार गवाहों के बयान की आवश्यकता होती है जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हो चुके हैं। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 59 व 63 पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि वसीयत पूर्णरूप से साबित करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय का गहनता से परिशीलन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (राजस्व)
श्रीगंगानगर

[Type text]

Scanned with OKEN Scanner

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि पूर्व पक्षकारों के मध्य अपील सं0 22/12 वीनाकुमारी वगैरा बनाम तोती बाई द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0) श्री गंगानगर के न्यायालय में दायर हुई, जिसके निर्णय दिनांक 29–9–15 द्वारा अपीलान्टस की अपील आंशिक रूप स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि सभी पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर, अपंजीकृत वसीयत को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् आदेश पारित करें। उक्त अपीलीय निर्णय दिनांक 29–5–15 के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकार को विधिसम्मत नोटिस जारी कर तलब किया गया उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के गवाहान के बयान तथा नोटेरी पब्लिक के बयान लिये गये एवं इनके द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए गए। उक्त गवाहों से जिरह भी की गई है। वकील अपीलांट का तर्क है कि वसीयत के गवाहान के बयानों में काफी गम्भीर विरोधाभाष हैं। वसीयत दिनांक 1–4–2010 की है और साक्षिगण के बयान वर्ष 2017 में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हुए हैं। सात वर्ष की अवधि के उपरांत बयान होने से विरोधाभाष होना स्वाभाविक है। अपीलांट वीनाकुमारी की साक्ष्य भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लेखबद्ध की गई है। समस्त विधिसम्मत् कार्यवाही पूर्ण कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

जहाँ तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, वसीयतकर्ता भगवानी बाई द्वारा दिनांक 1–4–2010 को नोटेरी से प्रमाणित वसीयत तोती बाई पत्नी मदन लाल, मीनाकुमारी पत्नी श्री कृष्ण लाल (पुत्रियां), रानी देवी पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश एवं कुसम पत्नी श्री दर्शन लाल (पुत्र वधुएं) के पक्ष में निष्पादित की गई है। वसीयत में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि वह वृद्धावस्था की हो चुकी है, शरीर से हृष्ट पुष्ट है, किसी प्रकार की कोई बिमारी नहीं है। भूमि उसकी खुद की स्वय अर्जित है। उसने जो यह वसीयत की है, उसमें उसके सभी सदस्यों की पूर्ण सहमति है।

उक्त वसीयत के अनुसार चक 9 पी एस तहसील रायसिंहनगर का मु0 नं0 58 प0 नं0 183/281 के कि0 नं0 1 से 25 मय खाला में 1/4 हिस्सा यानि (1.581है0) 6 बीघा 5 बिस्वा नहरी वा इसी चक का मु0 नं0 53 का कि0 नं0 11/1, के0 नं0 12/1, कि0 नं0 13/1, कि0 नं0 14/1, कि0 नं0 15/1 व कि0 नं0 16 से 25 में 3.163 है0 नहरी मय खाला नहरी भूमि वसीयतकर्ता भगवानीबाई के नाम से खातेदारी रेकार्ड में दर्ज है, जिसकी वह अकेली मालिक है।

उक्तानुसार उक्त भूमि चक 9 पी एस के मु0 नं0 58 में उसे 1/4 हिस्सा तथा मु0 नं0 58 में उसे 3.163 है0 भूमि प्राप्त हुई। शेष भूमि 3/4 हिस्सा भगवानीबाई के पुत्रों को पूर्व में प्राप्त हो चुकी थी। भगवानी बाई द्वारा अपने हिस्से की भूमि की वसीयत अपनी दो पुत्रियों तथा दो पुत्र वधुओं को की गई है। वसीयत अपजीकृत होने से प्रकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि वसीयत को गवाहान व नोटेरी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रमाणित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध की गई है तथा साक्षिगण की गई है एवं साक्षीगण ने अपने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये हैं। थ न्यायालय द्वारा वसीयत को प्रमाणित माना है। अपीलांट को यदि

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

वसीयत पर कोई विधिक आपति है तो उन्हें सक्षम सिविल न्यायालय में वाराजो कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रृटि नहीं की है। मेरे विन्रम मत में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् है, इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांयश नहीं है। अत अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–2–18 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायलय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 19–05–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अति० जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर